रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72

REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 360] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 3, 1976/श्रावण 12, 1898

No. 360] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 3, 1976/SRAVANA 12, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF STEEL AND MINES

(Department of Mines)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 3*rd August* 1976

S.O. 524(E).—Whereas, by virtue of the provisions of section 3 of the Metal Corporation of India (Acquisition of Undertaking) Act, 1966, (36 of 1966), the undertaking of the Metal Corporation of India Limited was transferred to, and vested in, the Central Government with effect from the 22nd day of October, 1965;

And whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Steel and Mines (Department of Mines and Metals), No. S.O. 3401, dated the 22nd October, 1965, Shri Chhedi Lal, Joint Secretary, Department of Mines and Metals, was appointed as an Administrator for the management and administration of the undertaking of the Metal Corporation of India Limited;

And whereas the Metal Corporation of India (Acquisition of Undertaking) Act, 1966, has been repealed by sub-section (1) of section 4 of the Metal Corporation (Nationalisation and Miscellaneous Provisions) Ordinance, 1976, (No. 12 of 1976);

And whereas the said repeal is effective from the 22nd day of October, 1965;

Now, therefore, Shri Chhedi Lal, the then Joint Secretary in the erstwhile Department of Mines and Metals, is, and shall be deemed to have been, appointed by the Central Government, in exercise of the powers conferred on it by sub-section (1) of section 5 of the Metal Corporation (Nationalisation and Miscellaneous Provisions) Ordinance, 1976, as an Administrator of the undertaking of the Metal Corporation for the period commencing on the 22nd day of October, 1965, and ending on the 9th day of January, 1966.

[No. F. 55025(3)/73-Met.II].

इस्पात और खान मंत्रालय

(खान विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 1976

का० आ० 524(अ).—यतः मेटल कारपोरेशन आफ इंडिया (उपक्रम का अर्जन) अधिनियम, 1966 (1966 का 36) की धारा 3 के उपबन्धों के आधार पर, मेटल कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड नामक उपक्रम को 22 अक्तूबर, 1965 से केन्द्रीय सरकार को अन्तरित और उसमें निहित किया गया था ;

और यतः, भारत सरकार के इस्पात और खान मंत्रालय (खान और धातु विभाग) की अधिसूचना सं० का०आ० 3401, तारीख 22 अक्तूबर, 1965 द्वारा खान और धातु विभाग के संयुक्त सचिव श्री छेदी लाल को मेटल कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड नामक उपक्रम के प्रबन्ध और प्रशासन के लिए प्रशासक नियुक्त किया गया था ;

और यतः, मेटल कारपोरेशन आफ इंडिया (उपक्रम का अर्जन) अधिनियम, 1966 को धातु निगम (राष्ट्रीयकरण और प्रकीर्ण उपबन्ध) अध्यादेश, 1976 (1976 का 12) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा निरसित कर दिया गया है ;

और यत, उक्त निरसन 22 अक्तूबर, 1965 से प्रभावी है ;

अतः, अब भूतपूर्व खान और धातु विभाग के तत्कालीन संयुक्त सचिव श्री छेदी लाल को, केन्द्रीय सरकार द्वारा, धातु निगम (राष्ट्रीयकरण और प्रकीर्ण उपबन्ध) अध्यादेश, 1976 की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 22 अक्तूबर, 1965 को प्रारम्भ होकर 9 जनवरी, 1966 को समाप्त हुई अवधि के लिए, धातु निगम उपक्रम के प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है और नियुक्त किया गया माना जाएगा ।

[सं० फा० 55025(3)/73-धातु-2]

S.O. 525(E).—Whereas, by virtue of the provisions of section 3 of the Metal Corporation of India (Acquisition of Undertaking) Act, 1966, (36 of 1966), the undertaking of the Metal Corporation of India Limited was transferred to, and vested in, the Central Government with effect from the 22nd day of October, 1965;

And whereas, on the formation of the Hindustan Zinc Limited, a Government company, the undertaking of the Metal Corporation of India Limited, together with all its properties, assets, liabilities and obligations, became, by virtue of the provisions of section 12 of the Metal Corporation of India (Acquisition of Undertaking) Act, 1966, vested in the Hindustan Zinc Limited;

And whereas the Metal Corporation of India (Acquisition of Undertaking) Act, 1966, has been repealed by sub-section (1) of section 4 of the Metal Corporation (Nationalisation and Miscellaneous Provisions) Ordinance, 1976, (No. 12 of 1976);

And whereas the said repeal is effective from the 22nd day of October, 1965;

Now, therefore, Hindustan Zinc Limited is, and shall be deemed to have been, appointed by the Central Government, in exercise of the powers conferred on it by sub-section (1) of section 5 of the Metal Corporation (Nationalisation and Miscellaneous Provisions) Ordinance, 1976, as an Administrator of the undertaking of the Metal Corporation for the period commencing on the 10th day of January, 1966, and ending on the 2nd day of August, 1976.

[No. F. 55025(3)/73-Met.II].

का० आ० 525 (अ).—यत: मेटल कारपोरेशन आफ इंडिया (उपक्रम का अर्जन) अधिनियम 1966 (1966 का 36) की धारा 3 के उपबन्धों के आधार पर, मेटल कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड नामक उपक्रम को 22 अक्तूबर, 1965 से केन्द्रीय सरकार को अन्तरित और उसमें निहित किया गया था ;

और यत:, एक सरकारी कम्पनी, हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के बन जाने पर, मेटल कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड नामक उपक्रम, अपनी सारी सम्पत्तियों, आस्तियों दायित्वों और आभारों सहित मेटल कारपोरेशन आफ इंडिया (उपक्रम का अर्जन), अधिनियम 1966 की धारा 12 के उपबन्धों के के आधार पर, हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड में निहित हो गया है ;

और यत:, मेटल कारपोरेशन आफ इंडिया (उपक्रम का अर्जन) अधिनियम, 1966 का, धातु निगम (राष्ट्रीयकरण और प्रकीर्ण प्रबन्ध) अध्यादेश, 1976 (1976 का 12) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा निरसन कर दिया गया है ;

और यत:, उक्त निरसन 22 अक्तूबर, 1965 से प्रभावी हो गया है ;

अत: अब हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड को, धातु निगम (राष्ट्रीयकरण तथा प्रकीर्ण उपबन्ध) अध्यादेश, 1976 की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार द्वारा, 10 जनवरी, 1966 को आरम्भ हो कर 2 अगस्त, 1976 को समाप्त हुई अवधि के लिए धातु निगम उपक्रम के प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है और नियुक्त किया गया माना जाएगा ।

[सं० फा० 55025 (3)/73-धातु-2]

S.O. 526(E).—In exercise of the powers conferred on it by sub section (1) of section 9 of the Metal Corporation (Nationalisation and Miscellaneous Provisions) Ordinance, 1976, (No. 12 of 1976), the Central Government, being satisfied that Hindustan Zinc Ltd., a Government company, is willing to comply with such terms and conditions as the Central Government may think fit to impose, hereby directs that the undertaking of the Metal Corporation and the right, title and interest of the Metal Corporation in relation to its undertaking, which have vested in the Central Government under sub-section (1) of section 7 of the Ordinance aforesaid, shall, instead of continuing to vest in the Central Government, vest in Hindustan Zinc Ltd on the 3rd day of August, 1976

[No. F. 55025(3)/73-Met.II].

S. K. MUKHERJEE, Addl. Secy.

का० आ० 526 (अ).—धातु निगम (राष्ट्रीयकरण तथा प्रकीर्ण उपबन्ध) अध्यादेश, 1976 (1976 का 12) की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा अपने को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, अपना यह समाधान हो जाने पर कि हिन्दुस्तान जिंक लि० जो एक सरकारी

कम्पनी है, उन निबन्धनों और शर्तों का पालन करने की इच्छुक है, जिन्हें अधिरोपित करना केन्द्रीय सरकार उचित समझे, यह निदेश देती है कि धातु निगम उपक्रम तथा उपक्रम से संबंधित धातु निगम के अधिकार हक और हित, जो उक्त अध्यादेश की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार में निहित हो गए हैं, केन्द्रीय सरकार में निहित बने रहने की बजाए 3 अगस्त, 1976 से हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड में निहित हो जायेंगे ।

[सं० फा० 55025 (3)/73-धातु-2]

एस० के० मुखर्जी, अपर सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1976

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976